भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1071
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

आईआईटी, आईआईएम और एम्स में एससी/एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति

†1071. **डॉ. आलोक कुमार सुमन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जानबूझकर देश के आईआईटी, एम्स, आईआईएम और केंद्र सरकार के अन्य प्रमुख संस्थानों में शिक्षण स्टाफ के रूप में नियुक्ति नहीं दी जाती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उपरोक्त संस्थानों में पिछले दस वर्षों के दौरान शिक्षण स्टाफ के पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने अभ्यर्थियों को उपयुक्त नहीं पाया गया है;
(घ) क्या सरकार ने इन संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विनियम बनाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) शिक्षण स्टाफ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ) शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय की भर्ती संस्थानों में ही उनके संबंधित अधिनियमों और विनियमों के अनुसार तथा केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार की जाती

है। भर्ती संबंधी शक्तियां संबंधित शासी बोर्ड (बीओजी)/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड में निहित हैं और मंत्रालय की इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं है।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के आरंभ होने तथा मौजूदा संस्थाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि और क्षमता विस्तार से जनित अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

सरकार ने इन सीएचईआई में शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए दिनांक 09.07.2019 को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया। उक्त अधिनियम के अनुसरण में दिनांक 12.7.2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी सीएचईआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सीएचईआई ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए भी प्रेरित किया है। सितंबर 2022 से, आईआईटी और आईआईएम ने भी एससी और एसटी सहित रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 23.12.2024 तक सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में कुल 26,751 पद भरे गए हैं, जिनमें 15,637 संकाय पद शामिल हैं। आईआईटी और आईआईएम द्वारा सामूहिक रूप से कुल 7239 रिक्तियां भरी गई हैं, जिनमें 276 एससी और 52 एसटी को शामिल करते हुए 3027 संकाय पद हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है तथा यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एम्स दिल्ली ने वर्ष 2018-19 और 2021-22 में क्रमशः 172 और 270 संकाय पदों के लिए विज्ञापन दिया है और एससी/एसटी के 22 और 40 पदों को भरा है।

*****